



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GE 653947

(धरूप- ३)

सत्र 2023-23 में नवस्थापित श्री जगदीश प्रोड्यूसर्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापकों की संस्थापिका/ट्रस्ट के अग्रिम और सही ढंग से किये जाने वाले नोटरी कार्य-पत्र का प्रस्ताव

हम सुनील राय (ट्रस्टी प्रथमक) पता: बेलहरा पोस्ट, सतियावा सहर आजमगढ़ राजनाथ राय (सहो/उपराज) पता: मुताई पोस्ट, सतियावा सहर आजमगढ़ सपर मिलना बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी संस्थापिका/ट्रस्ट प्रथमक सतियावा सहर आजमगढ़ में बेलहरा पोस्ट सतियावा सहर आजमगढ़ के इन्त पीठएसएच का क्षेत्रीय ऑफिस फार्मिसी महावागड मन्डनपुर सहस्री सगरी आजमगढ़ मन्डनपुर इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापिका सत्र 2023-24 से किये जाने पर किये हैं।
2. यह कि हमारी संस्थापिका/ट्रस्ट के नाम महावागड मन्डनपुर सगरी आजमगढ़ में गाटा संख्या 717 गिठ / 1.006 रकमा अगस 2024.15 / 1.006 हेपटेयर चुने हैं।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किये प्रकार का कोई भी कार्य किये भी न्यायालय में नहीं किये गए हैं और भूमि किये सही है।



4. यह कि, उपरोक्त प्ले पर सीसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के माटा संख्या 717 गि/1,006 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सीसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 13/06/2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित रूपों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्ले पर सीसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी का चर्चित ऑफ इम्प्लिय, नई दिल्ली के निर्धार के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इम्प्लिय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से समस्त परामर्श एवं प्रवेश धारणा के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इम्प्लिय, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से समस्त संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई/आईआई आदि का संचालन न हो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक मूल्य सम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों/आदि प्ले फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इम्प्लिय, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही चुनलियत किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं वित्तीय स्टाफ की तैयारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्णय निर्देशों/आदेशों का सतीनाति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सन्तुष्टता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु, मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटसंचित अथवा सुविधपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

हो सचिव
[Signature]

हो अध्यक्ष
[Signature]

36. (1) - 4th year of the ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...

...
 ...

...

...
 ...
 ...